न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 158 / 2024 — दायर दिनांक–26.09.2024

1. प्रेम कंवर पत्नी दौलत सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना हाल आबाद भगवती ट्रांसपोर्ट सर्विस पुराना चेक पोस्ट आबू रोड जिला सिरोही राज0।

–वादी

1. आन्द कंवर पत्नी राजू सिंह आयू बालिग निवासी चिराना हाल आबाद c/o राजसिंह जोधा 67–ए अजीत कॉलोनी, बाल निकेतन रोड़, जोधपुर।
2. किरण कंवर पत्नी उगम सिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी चिराना हाल आबाद c/o तेजपाल सिंह फलेट नं0 204 द पलम रेजिडेंसी राधेकृष्ण सोसायटी अम्बाजी रेड़ आबू रेड़ जिला सिरोही राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : दुरूस्ती रिकॉर्ड व विभाजन।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–12.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खात संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 919, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 941, 942, 943, 944, 945 रकबा क्रमशः 0.75, 0.44, 0.50, 0.13, 0.19, 0.27, 0.53, 0.04, 0.95, 0.53, 0.07, 0.16, 0.35, 0.45 कुल किता 14 कुल रकबा 5.36 है0 भूमि में वादिया का नाम गजराज कंवर के स्थान पर प्रेम कंवर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया के हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखंलदाजी पैदा नही करें तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78, प्रदर्श 2 आधार कार्ड, प्रदर्श 3 पेन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली की अवलोकन पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेम कंवर के स्थान पर गजराज कंवर गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम [illegible] की सरहद में स्थित भूमि खात संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 919, 928, 929, [illegible] 931, 932, 933, 93[illegible], 941, 942, 943, 944, 945 रकबा क्रमशः 0.75, 0.44, 0.50, 0.13, 0.19, 0.2[illegible] [illegible] 0.07, 0.16, 0.35, 0.45 कुल किता 14 कुल रकबा 5.36 है0 भूमि में वादिया [illegible] के स्थान पर प्रेम कंवर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नव[illegible] को दिये जाते है तथा [illegible] संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में [illegible] के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) नवलगढ़

ए. सी. एम. (प्र. श्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 158 / 2024 **(प्रेम कंवर बनाम आन्द कंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खात संख्या 34 की भूमि खसरा नम्बर 919, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 941, 942, 943, 944, 945 रकबा क्रमशः 0.75, 0.44, 0.50, 0.13, 0.19, 0.27, 0.53, 0.04, 0.95, 0.53, 0.07, 0.16, 0.35, 0.45 कुल किता 14 कुल रकबा 5.36 है0 भूमि में वादिया का नाम गजराज कंवर के स्थान पर प्रेम कंवर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीया के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.05.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

ए. सी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested